

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Land Dispute Appeal Case No.-34/2025]

Shatrughan Das & others.....Appellant

Versus

Bechan Das and OthersRespondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date												
1	2	3	4												
	15.4.2026	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>यह अपील वाद न्यायालय सक्षम प्राधिकार-सह-भूमि सुधार उप समाहर्ता, सुपौल द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-46/2023-24 में दिनांक-20.8.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है।</p> <p>प्रश्नगत जमीन का विवरण निम्न है :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>अंचल</th> <th>मौजा/थाना नं०</th> <th>खाता</th> <th>खेसरा</th> <th>रकवा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">किशनपुर</td> <td rowspan="2">मेहासिमर/68</td> <td>04</td> <td>3015</td> <td rowspan="2">12 डी.</td> </tr> <tr> <td>157</td> <td>3001</td> </tr> </tbody> </table> <p>दिनांक-04.4.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है।</p> <p>अपीलार्थीगण का कहना है कि प्रश्नगत खाता-खेसरा का कुल रकवा 12 डी. जमीन उनके पिता-स्व० योगेन्द्र दास को बासगीत पर्चा से प्राप्त है। तथा यह कि प्रश्नगत जमीन वासगीत पर्चा वाद संख्या-35/1974-75 से बिहार विशेषाधिकृत व्यक्ति वास भूमि भूधृति अधिनियम के अन्तर्गत रैयत योगेन्द्र दास, पे०-स्व. मोहन दास को प्राप्त हुआ। जिसके आधार पर अंचल सिरिस्ता में जमाबंदी संख्या-161 कायम हुआ। तथा यह कि अपीलार्थीगण लगान रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि पचाधारी श्री योगेन्द्र दास उक्त स्थल पर अपना टीन-चदरा का घर मकान बना कर निवास करते आये है। तथा उनके मृत्युपरांत अपीलार्थीगण उक्त जमीन पर निवास करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि अपीलार्थी संख्या-2 मसो. छेदनी देवी के आवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा उक्त स्थल का जाँच कराया गया। जिसमें उक्त जमीन अपीलार्थीगण के दखल-कब्जे में पाया जाना प्रतिवेदित किया गया। उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी के पिता को 1974-75 से ही उक्त जमीन पर दखल-कब्जा रहता आया है। एवं घर-मकान बना कर रहते आ रहे हैं। इतना समय बीत जाने के बाद विपक्षीगण द्वारा गलत दावा किया गया है। उनका यह भी कहना है कि रजिस्टर-2 में भी योगेन्द्र दास का मिलजुमला खेसरा में रकवा 12 डी. जमीन निहित है। उनका कहना है कि विपक्षी का दावा सही नहीं है। तदनुसार अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय का आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>विपक्षी का कहना है कि खाता संख्या-53, खेसरा संख्या-315 का रकवा 18 डी. जमीन केडेस्टल सर्वे खतियान में तुलसी ततमा बल्द मुसहरू ततमा के नाम से दर्ज है। तथा यह कि हाल सर्वे खतियान में प्रश्नगत जमीन नकछेदी ततमा, पिता-बचकन ततमा के नाम से दर्ज है। उनका कहना है कि खेसरा संख्या-3015 की जमीन विपक्षी की मरौसी जमीन है। जिसपर विपक्षी का घर मकान अवस्थित है। उनका कहना है कि अपीलार्थी द्वारा वासगीत पर्चा संख्या-35/1974-75 से विशेषाधिकृत व्यक्ति योगेन्द्र दास, पे.-मोहन दास को प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है जो गलत है। उनका कहना है कि जमाबंदी</p>	अंचल	मौजा/थाना नं०	खाता	खेसरा	रकवा	किशनपुर	मेहासिमर/68	04	3015	12 डी.	157	3001	
अंचल	मौजा/थाना नं०	खाता	खेसरा	रकवा											
किशनपुर	मेहासिमर/68	04	3015	12 डी.											
		157	3001												

15.4.2026

संख्या-121 में खेसरा-3015 का रकवा शून्य तथा 3001 में रकवा 12 डी. बताया गया है। परंतु खेसरा 3001 गैरमजरूआ आम सड़क है। उनका कहना है कि अपीलार्थी का टीन-चदरा का घर मकान खेसरा संख्या-3001 पर है। उनका कहना है कि वासगीत पर्चा में चौहद्दी के रूप में उत्तर-डगर, दक्षिण-रामफल यादव, पूरब-बुद्धु यादव, पश्चिम-डगर अंकित है। तथा यह कि उक्त चौहद्दी में विपक्षी का खाता-53, खेसरा-3015 के खतियानी रैयत को चौहद्दी के रूप में नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि ऑनलाईन जमाबंदी पोर्टल पर भाग वर्तमान-3 पृष्ठ संख्या-2293 जमाबंदी संख्या-23 योगेन्द्र दास, पे.-मोहन दास संधारित है। जिसमें खाता-4, खेसरा-3015, रकवा-0 डी. तथा खाता-157, खेसरा-3301 का रकवा-12 डी. दर्ज है। उनका कहना है कि साबिक खतियान में खेसरा संख्या-3001, गैरमजरूआ आम एवं खाता संख्या-53, खेसरा संख्या-3015 रैयती खाता की जमीन रकवा-18 डी. तुलसी ततमा के नाम से दर्ज है। जो विपक्षी के वंशज हैं। तथा यह कि जिसपर विपक्षी का घर-दरवाजा बना हुआ है। एवं अद्यतन रेंट रसीद हासिल है। उनका कहना है कि अपीलार्थी के वासगीत पर्चा के अनुसार खेसरा संख्या-3015 चौहद्दी में नहीं है। इस प्रकार 3015 में अपीलार्थी का शेष रकवा का दखल-कब्जा का मांग किया जाना उचित नहीं है। तदनुसार उनके द्वारा इस वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागाजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder तथा LCR के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को वासगीत पर्चा वाद संख्या-35/1974-75 से खेसरा संख्या-3015, 3001 में कुल 12 डी. जमीन प्राप्त है। जो अभिलेख पर है। जबकि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत जमीन के खतियानी रैयत होने के आधार पर दावा किया जा रहा है। वासगीत पर्चा स्वीकृत होने के उपरांत खतियानी रैयत के वंशज द्वारा दावा किया जाना विधिसम्मत नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा वासगीत पर्चा के चौहद्दी में 3015 अंकित नहीं रहने तथा 3001 के सरकारी जमीन रहने के आधार पर आदेश पारित किया गया है। किंतु यह Establish Legal Position है कि वासगीत पर्चा प्राप्त Privileged Tenant को वासगीत पर्चा के जमीन पर Peaceful Possession सुनिश्चित करना है। यदि विपक्षी को वासगीत पर्चा पर आपत्ति है तो वह Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act, 1947 के तहत Appeal/Revision दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु वासगीत पर्चा Valid रहने की स्थिति में Privileged Tenant को उनके Legal अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। निम्न न्यायालय द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं को Overlook करते हुये आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है। अतः तदनुसार निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाता है। अंचल अधिकारी, किशनपुर को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को वासगीत पर्चा से प्राप्त जमीन पर विधिमान्य Possession सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

Page k.

15/4/2026.

आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।

Page k.

15/4/2026.

आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा।